कार्यालय नगर पालिका मंडल, बाड़मेर (राज.)

क्रमांक : एफ–8 / भूमि / 2010 /　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : ....

– व्यावसायिक/आवासीय भूखण्डों की भव्य नालामी सूचना –

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका बाड़मेर द्वारा निम्नलिखित सारणी में अंकित व्यावसायिक / आवासीय भूखण्डों की निम्नलिखित तिथि को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 99 वर्ष की लीज होल्ड राईट पर राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अन्तर्गत विक्रय किये जायेंगे। इच्छुक व्यक्ति मौके पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकता है। बाड़मेर शहर प्रगति की ओर अग्रसर है। शहर के आस–पास खनिज तेल एवं कोयले के प्रचुर भण्डार उपलब्ध हैं। व्यावसायिक / आवासीय गतिविधियां निरन्तर प्रगति पर है। शहर में से दो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 एवं 112 गुजर रहे हैं। उनके पास स्थित भूखण्डों की नीलामी प्रस्तावित है। इस अवसर को भुनाने हेतु पालिका की नीलामी में भाग लेने हेतु आप आमंत्रित हैं।

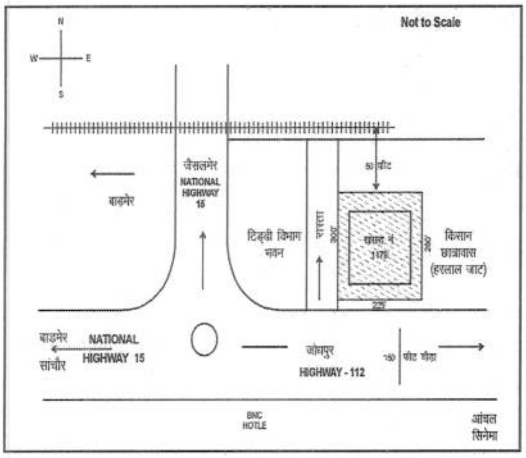

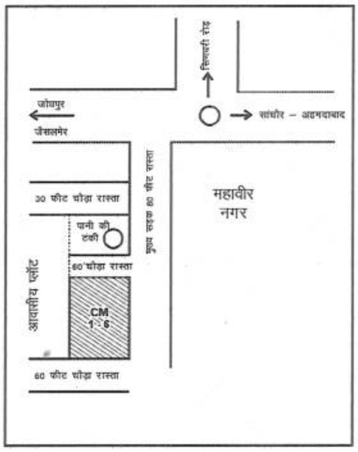

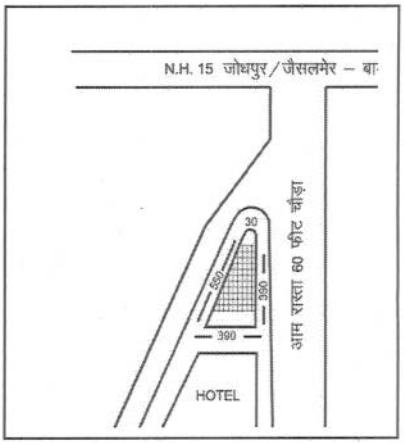

एफएआर (आवासीय भूखण्ड)

STD. FAR	= 1.20
Max. HT.	= 12 m
Max. Covered Area	= Inside Setback
Set Back	
FRONT	= 4.5 m
[redacted] Side & Back	= 3.0 m

एफएआर (व्यावसायिक भूखण्ड)

STD. FAR	= 1.33
Max. FAR	= 2.25
Max. Ht. = 13.0 m (C-2).	30.0 m (Shopping Mall)
Max. Covered Area	= 35%
Set Back	
FRONT	= 15m
Both Side & Back	= 09m

नीलामी भूखण्डों की विक्रय की शर्तें कार्यालय समय में कार्यालय से देखी जा सकती है।

नगरपालिका बाड़मेर द्वारा इन व्यावसायिक / आवासीय भूखण्डों / मॉल / शॉपिंग मॉल की खुली नीलामी बोली रखी गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	प्रकार	प्लाट साईज	धरोहर राशि	आरक्षित दर	न्यूनतम बोली	नीलामी तिथि
1	CM – 2 to 5 महावीर नगर	आवासीय भूखण्ड	40X75	13200	220/- वर्गफीट	21.0 लाख	3.01.2011
2	CM – 1, 6 महावीर नगर	कॉर्नर आवासीय भूखण्ड	50'X75	16500	220/- वर्गफीट	26.25 लाख	4.01.2011
3	सी–2, टिड्डी विभाग के पास	व्यावसायिक	$\frac{(210'+160')}{2} X \frac{(305'+275')}{2}$ = 53650 वर्गफीट	21.46 लाख	800 / – प्रति वर्गफीट	429.20 लाख	6.01.2011
4	Shopping Mall टाउनशिप	व्यावसायिक	½X370X280' = 51800 ½X100X75' = 3750 = 55550 वर्गफीट	8.34 लाख	400 / – प्रति वर्गफीट	288.00 लाख	7.01.2011

कालूखान सलावट	उषा जैन	गौरव गोयल (आई.ए.एस.)
आयुक्त	अध्यक्ष	जिला कलक्टर
नगरपालिका, बाड़मेर	नगरपालिका, बाड़मेर	बाड़मेर

नीलामी भूखण्डों की विक्रय की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार है –

1. नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड की धरोहर राशि मौके पर नकद/ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। नीलामी बोली स्वीकार न होने पर वह राशि लौटा दी जायेगी।
2. नीलामी बोली जिस व्यक्ति के नाम पर समाप्त होकर स्वीकार की जायेगी उस नीलामी बोली की 1/4 राशि दूसरे दिन दोपहर 2.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।
3. नीलामी बोली उस समय तक अस्थायी होगी जब तक सक्षम अधिकारी को स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाए। शेष 3/4 राशि नीलामी सूचना तिथि से एक माह के भीतर जमा करानी होगी। इसके पश्चात् 30 दिवस तक का समय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बकाया 3/4 राशि एवम् ब्याज जमा कराने का अन्तिम समय है। इस अवधि के पश्चात् बिना सूचना के 1/4 राशि जब्त होकर भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जायेगी।
4. लीज पहले तीन वर्ष तक 2.5 प्रतिशत एवं बाद में 5 प्रतिशत देय होगी एवम् प्रत्येक 15 वर्षों में 25 प्रतिशत अरबन एसेसमेण्ट के मूल्य पर जो राशि संशोधित होगी, वह वसूल की जायेगी।
5. नगरपालिका को बिना कारण बताये नीलामी बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. भूखण्ड की रजिस्ट्री क्रेता को अपने स्वयं के व्यय से करानी होगी।
7. भूखण्ड के लिये अन्य शर्तें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 एवम् राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 एवम् समय–समय पर जो निर्देश व नियमों में संशोधन होंगे, उसकी पूर्ण पालना करनी होगी।
8. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड के निर्माण हेतु भवन निर्माण विनिमय, 2010 के प्रावधान मान्य होंगे।
9. ज्वलनशील पदार्थ, धुंआ करने वाले पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, गैसीय पदार्थ का व्यवसाय होने पर अनुज्ञा–पत्र बिना कारण बताये निरस्त कर दिये जायेंगे।
10. मौके पर भूखण्ड का माप कम / ज्यादा होना संभव है। मौका स्थिति अनुसार नीलामी की जावेगी।
11. भूखण्ड उपभाग किसी भी प्रकार का रद्दोबदल पालिका की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। नीलामी की शर्तों की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में भूमि अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकती है। किसी कारणवश अवकाश होने की स्थिति में नीलामी अगले कार्यदिवस को की जावेगी।
12. यह निविदा हमारी वेबसाइट http://lsgraj.cgg.gov.in एवं NIC BARMER पर भी देखी जा सकती है।